

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

जयपुर, दिनांक 04/07/23

कमांक प0 8(2) राज/वाद/12पार्ट-1

:: आदेश ::

नवसृजित विशिष्ट न्यायालय(एनडीपीएस प्रकरण) सं0 2, जोधपुर एवं 04 अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालयों (जायल, जिला नागौर/ सं0 2 रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर/फागी, जिला जयपुर/सं0 2 खेतड़ी, जिला झुंझुनू) में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक तथा इनके स्टाफ के पद लेखामद 2014-00-114-01-00-01 (राज्यनिधि) में निम्नानुसार पदों के सृजन की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	पद नाम	कुल सृजित पद	पे बैंड/ग्रेड पे
1	विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस प्रकरण)	01	रु 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) रिटनरशिप
2	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	04	रु 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) रिटनरशिप
3	क्लर्क ग्रेड-आ	05	5200-20200, ग्रेड पे- 2400/-
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	5200-20200, ग्रेड पे -1700/-

उपरोक्त नव सृजित पदों का कार्यालय वार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या
1	विशेष न्यायालय (एनडीपीएस प्रकरण) सं02, जोधपुर	01	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
2	अपर जिला न्यायाधीश, जायल जिला नागौर	01	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
3	अपर जिला न्यायाधीश सं02, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर	01	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
4	अपर जिला न्यायाधीश, फागी, जिला जयपुर	01	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
5	अपर जिला न्यायाधीश सं02, खेतड़ी, जिला झुंझुनू	01	क्लर्क ग्रेड-आ	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01

उपरोक्त नवसृजित कार्यालयों हेतु नवीन आईटम हेतु लेखामद 2014-00-114-01-00-05 कार्यालय व्यय (राज्य निधि) में उपलब्ध प्रावधान में से व्यय करने की सहमति प्रदान की जाती है, यह उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना करते हुये किया जावे:-

क्र0सं0	फर्नीचर का नाम	संख्या	अनुमानित दर	अनुमानित व्यय
1	टेबिल	10 ( प्रत्येक विशिष्ट लोक अभियोजक एवं प्रत्येक अपर लोक अभियोजक कार्यालय हेतु 02)	10,000/-	1,00,000/-
2	कुर्सी	40 ( प्रत्येक विशिष्ट लोक अभियोजक एवं प्रत्येक अपर लोक अभियोजक कार्यालय हेतु 08)	4000/-	1,60,000/-
3	आलमारी	10 ( प्रत्येक विशिष्ट लोक अभियोजक एवं प्रत्येक अपर लोक अभियोजक कार्यालय हेतु 02)	15,000/-	1,50,000/-
4	विविध अन्य कार्यालय सामग्री	प्रत्येक कार्यालय हेतु राशि 10000/-रु	10000/-	50,000/-
			<b>योग</b>	<b>4,60,000/-</b>


नवसृजित कार्यालय, पदों एवं उपरोक्त फर्नीचर कय करने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं0 102301612 दिनांक 03.07.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,  
04/07/23  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

लगातार/-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, गृह(विधि)।
5. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर/मेड़ता जिला नागौर/श्रीगंगानगर/जयपुर/झुंझुनूं।
6. विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण सं02, जोधपुर/अपर जिला न्यायाधीश, जायल जिला नागौर/सं02 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर/फागी जिला जयपुर/ खेतड़ी जिला झुंझुनूं।
7. जिला कलक्टर, जोधपुर/श्रीगंगानगर/नागौर/जयपुर/झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन आइटम वर्ष 2023-24 में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए कय किया जाना सुनिश्चित कर संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध कराये।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
9. कोषाधिकारी, जोधपुर/ नागौर /श्रीगंगानगर/जयपुर/झुंझुनूं।
10. संबंधित कार्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
04/7/23  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

(10)